



## योजना के बारे में

---



राजस्थान सर्म्पर्क पोर्टल सरकार व प्रदेश के आमजनों के बीच एक ऐसा सरल व सुगम माध्यम है जिसके द्वारा आमजन सरकार से संबंधित अपनी किसी भी परेशानी या समस्या के बारे में बेझिझक सरकार को बता सकते हैं। इससे न सिर्फ आमजन को उनकी परेशानियों का समाधान मिलता है साथ ही इससे सरकार की आमजन के प्रति संवेदनशीलता का भी परिचय मिलता है।

### शिकायत दर्ज करवाने के तरीके

राजस्थान सर्म्पर्क पोर्टल पर आमजन घर बैठे ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं ज़िला स्तर पर राजस्थान सर्म्पर्क केन्द्रों की स्थापना भी की गई है। ई-मित्र कियोस्क पर भी आमजन अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं।

समस्या समाधान को और आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा राजस्थान सर्म्पर्क हेल्पलाइन 181 भी शुरू की गई है। इस हेल्पलाइन पर सरकारी कामकाज से जुड़ी समस्या बताकर समाधान करवाया जा सकता है।

दर्ज शिकायतों के निस्तारण की जानकारी फोन कॉल पर देने के साथ ही पोर्टल पर भी फीडबैक की व्यवस्था की गई है।

## बोल बदलाव के

---



बरजूदेवी

जयसिंह देसर (मगरा), बीकानेर

हमारे गांव में 33 के. वी. जीएसएस स्वीकृति के बावजूद चालू नहीं हुआ तो राजस्थान सर्म्पर्क पर शिकायत दर्ज करवाई और समस्या हल हो गई।



जयसिंह रावत

गाँव-बड़ल्या, अजमेर

गाँव में हैंडपम्प खराब होने की शिकायत राजस्थान सर्म्पर्क पर दर्ज करने पर समाधान हुआ और सूचित किया गया।



बिरमाराम सांसी

कोलायत, बीकानेर

पिछले आठ वर्षों से मैं खातेदारी अधिकार के लिए चक्कर लगा रहा था, लेकिन राजस्थान सर्म्पर्क में शिकायत करने के बाद मुझे खातेदारी अधिकार मिल गया है।